



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय,  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1245/DL/11/2023-ESD **NOTICE**

दिनांक: 13.02.2023

सेवा में,


सुश्री माधवी मिश्रा,  
उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट,  
जिला-रामगढ़  
डीसी कार्यालय, छतर मांडू, रामगढ़  
झारखंड  
ई-मेल: dc-ramgarh@gov.in

विषय: गरीब आदिवासी समुदाय के सदस्यों की ज़मीन पर निर्देशक रामचन्द्र रंगटा, माँ छिन्नमस्तिका प्रा० लि० द्वारा जबरन कब्जा कर बेदखल करने के संबंध में श्री इंद्रदेव मुंडा एवं अन्य का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री इंद्रदेव मुंडा एवं अन्य से एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

  
(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री सचिन सौरव,  
माननीय जनजातीय कार्य मंत्री के निजी सचिव,  
जनजातीय कार्य मंत्रालय,  
भारत सरकार  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली के नोट दिनांक 09.11.2022 के  
संदर्भ में

श्री इंद्रदेव मुंडा,  
ग्राम-हेहल, पोस्ट-चैनगड़ा,  
थाना-परतातु,  
जिला - रामगढ़,  
झारखंड - 825314

जारी किया  
ISSUED  
१०२९-२०३०-२०३१  
15/2/23